दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 27.09.2024
निर्णय उद्घोषित: 03.10.2024

नि.प्र.अ. 150/2020

मैसर्स जेन्सन्स लाइट्स (प्रा.) लिमिटेड .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री शैलेंद्र नेगी, अधिवक्ता

बनाम

अशरफ़ .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अरुण पूमुल्ली, अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरिश कठपालिया

निर्णय

न्या. गिरिश कठपालिया :

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत दायर यह अपील 18.09.2019 के निर्णय और डिक्री को चुनौती देती है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दायर धन वसूली के वाद को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केंद्रीय, तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली के न्यायालय ने खारिज कर दिया था। नोटिस की तामील के बाद, प्रत्यर्थी ने अधिवक्ता के माध्यम से

उपस्थिति दर्ज कराई। मैंने दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और विचारण न्यायालय के डिजिटल अभिलेख का परीक्षण किया।

2. संक्षेप में, वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियाँ निम्नानुसार हैं।

2.1 अपीलार्थी, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ने वर्तमान प्रत्यर्थी के विरुद्ध 3,08,343/- रुपए की वसूली के लिए वाद दायर किया, जिसमें अभिवचन दिया गया कि दोनों पक्षकारगण फ़ैंसी लाइटों के व्यवसाय में लगे हुए थे, जिसमें वर्ष 2012-13 से वर्तमान प्रत्यर्थी अपीलार्थी से लाइटें खरीदता था; अपीलार्थी मौखिक आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा खरीदी गई सामग्री के लिए बिल बनाता रहा था; कि प्रत्यर्थी खरीदे गए माल का वितरण या तो प्रत्यक्षतः या परिवाहकों के माध्यम से लेता रहा था; कि अपीलार्थी अपने नियमित व्यवसाय के क्रम में पक्षकारगण के बीच व्यापारिक लेनदेन के संबंध में एक चालू खाता बनाए रखता था; कि प्रत्यर्थी दिल्ली में वितरित चेक के माध्यम से भुगतान करता रहा था; 01.01.2015 तक प्रत्यर्थी पर 30.12.2013 से पहले से बेची और आपूर्ति की गई सामग्री के प्रतिफल के रूप में अपीलार्थी की 3,08,343/- रुपए की राशि बकाया थी, इसलिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा बकाया राशि का भुगतान किए जाने तक आगे सामग्री की आपूर्ति करने से इनकार करना शुरू कर दिया; जब टेलीफ़ोन पर बार-बार अनुरोध करने और अपीलार्थी के प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत दौरों के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा बकाया

देयता का निर्वहन नहीं किया गया, तो अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को अधिवक्ता के माध्यम से एक माँग नोटिस दिया गया, जिसमें प्रत्यर्थी को 01.01.2015 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 3,08,343/- रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन नोटिस की तामील के बावजूद प्रत्यर्थी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा; चूँकि अपीलार्थी का व्यवसाय दिल्ली में है और माल दिल्ली में जारी चालान के माध्यम से खरीदा गया था, इसलिए इस विवाद का न्यायनिर्णयन करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिल्ली के न्यायालयों में निहित है।

2.2 प्रत्यर्थी ने लिखित बयान के माध्यम से वाद का विरोध किया, जिसमें उसने वादपत्र की विषय-वस्तु से इनकार किया और अभिवचन दिया कि वह एर्नाकुलम, केरल में अपना व्यवसाय कर रहा था और उसका अपीलार्थी के साथ कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं था; कि वह कभी दिल्ली नहीं गया, न ही उसने दिल्ली में अपीलार्थी के साथ कोई अनुबंध किया, न ही दिल्ली में अपीलार्थी को कोई क्रय आदेश दिया, न ही उसने दिल्ली में अपीलार्थी को कोई भुगतान किया और न ही उसने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी बिल पर स्वीकृति का कोई समर्थन किया; कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल वास्तविक नहीं हैं और इस वाद के लिए अपीलार्थी द्वारा धोखाधड़ी से बनाए गए थे; कि वादपत्र को किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और संस्थित नहीं किया गया था; कि उसका केवल मैसर्स जेन्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अपीलार्थी की

सहयोगी कंपनी थी, के साथ व्यापारिक लेन-देन था और ये सभी लेन-देन केवल कोच्चि, केरल में हुए थे।

2.3 अपीलार्थी ने एक उत्तर दायर किया, जिससे लिखित बयान की विषय-वस्तु से इनकार किया गया और वाद-पत्र की विषय-वस्तु को अभिपुष्ट किया गया। उत्तर में अपीलार्थी ने अभिवचन दिया कि सभी मूल बिल प्रत्यर्थी के पास हैं, क्योंकि उसने परिवाहक से माल के साथ-साथ उन्हें भी प्राप्त किया था।

2.4 उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे विरचित किए:

> *"1. क्या प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 के अनुसार इस न्यायालय को वर्तमान वाद पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है? साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।*
> *2. क्या वाद विधिवत् प्राधिकृत एवं सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर एवं सत्यापित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव हुआ? साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।*
> *3. क्या वाद भागीदारी अधिनियम की धारा 69(2) द्वारा वर्जित है? साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।*
> *4. क्या वाद वाद हेतुक से रहित है और मिथ्या तथ्यों पर आधारित है? साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।*
> *5. क्या वादी 3,08,343/- रुपए की राशि के लिए दावा किए जाने का हकदार है? साबित करने का दायित्व वादी पर है।*
> *6. क्या वादी वादकालीन और भविष्य के ब्याज का हकदार है? यदि हाँ, तो किस दर पर और कितनी अवधि के लिए? साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।*
> *7. राहत"*

2.5 अपने मामले के समर्थन में, अपीलार्थी कंपनी ने वादपत्र के हस्ताक्षरकर्ता का अपने एकमात्र साक्षी अभि.सा.1 के रूप में परीक्षण कराया, जिसने शपथ पर अपने तर्कों की उपर्युक्त विषय-वस्तु की गवाही दी तथा प्रासंगिक दस्तावेज़ों को प्र.अभि.सा.1/1 से प्र.अभि.सा.1/9 के रूप में अभिलेख पर रखा। अपनी प्रति-परीक्षा में, अपीलार्थी के उक्त एकमात्र साक्षी अभि.सा. 1 ने यह गवाही दी कि उसका जेन्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई सरोकार नहीं था और उसे जेन्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध दायर सिविल वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी; कि उसके पास प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली में कोई आदेश देने का कोई दस्तावेज़ नहीं था; कि वह प्रत्यर्थी का विज़िटिंग कार्ड भी नहीं दिखा सका; कि उसके द्वारा दाखिल किया गया खाता बही लेखापाल द्वारा तैयार किया गया था; कि इस वाद के अभिलेख में रखे गए किसी भी बिल/चालान पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं; कि अभिलेख में रखे गए खातों के विवरण पर उसके अपने हस्ताक्षर भी नहीं हैं; कि कूरियर रसीद प्र.अभि.सा.1/8 पर प्रत्यर्थी का पूरा पता नहीं है; कि उसे याद नहीं है कि चेक उसे व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए थे या कूरियर द्वारा उसे वितरित किए गए थे; कि वह माल के विक्रय के लिए पक्षकारगण के बीच निष्पादित कोई संविदा नहीं दिखा सका; कि उसे याद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने कितनी बार व्यक्तिगत रूप से उसकी दुकान से माल लिया था; और उसके पास प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली में माल की प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वीकृति को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज़ नहीं था। अभि.सा.1 ने प्रति परीक्षा में प्रत्यर्थी द्वारा सुझाए गए मामले का खंडन किया।

2.6 अपीलार्थी की ओर से कोई अन्य साक्ष्य नहीं दिया गया।

2.7 प्रत्यर्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का भी विकल्प चुना।

2.8 उपरोक्त अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने मुद्दे सं. 2 और 3 को अपीलार्थी के पक्ष में और शेष मुद्दों को प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णीत किया। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया गया।

3. इसलिए, असफल वादी द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई।

4. अंतिम बहस के दौरान, दोनों पक्षकारगण ने मुझे विचारण न्यायालय के अभिलेख और प्रासंगिक न्यायिक उद्घोषणाओं से अवगत कराया।

4.1 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कि खाता लेखा प्र.अभि.सा.1/4 और चालान प्र.अभि.सा.1/3 (संयु.) को नज़रअंदाज़ करके त्रुटि की है, जो स्पष्ट रूप से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी के दायित्व को स्थापित करता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के अभिलेख के पीडीएफ़ पृष्ठ 149 पर कूरियर रसीद का भी उल्लेख किया, और दावा किया कि यह प्र.अभि.सा.1/3 (संयु) का भाग है और प्रतिवाद दिया कि यह दिल्ली से केरल के एर्नाकुलम में प्रत्यर्थी को माल के वितरण को स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने

अभि.सा.1/3 (संयु) का भाग बनने वाले विभिन्न चालानों का भी संदर्भ दिया और दावा किया कि यह अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को माल के वितरण का साक्ष्य है। अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***जे.सी. एंटरप्राइजेज (पंजी) बनाम रंगनाथ एंटरप्राइज़ेज़,*** 2011 (122) डीआरजे 34; ***मैसर्स हरित पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स कोल्ट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड,*** 2016:डीएचसी:6685; ***श्रीमती श्रद्धा वासन एवं अन्य बनाम श्री अनिल गोयल एवं अन्य,*** 2009:डीएचसी:1916; और ***विद्याधर बनाम माणिक राव एवं अन्य,*** (1999) 1 एससीआर 1168 शीर्षक वाले मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

4.2 दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और प्रतिवाद दिया कि अपील पूरी तरह से गुणागुण से रहित है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया कि चूँकि अपीलार्थी अपना मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, इसलिए प्रत्यर्थी के लिए कोई साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन न्यायिक पूर्वनिर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले से पूरी तरह अलग हैं।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने मुद्दे सं. 1 और 4 का एक साथ परीक्षण करना उचित समझा। मैं इन मुद्दों की परस्पर अंतर्निहित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ, जहाँ तक अपीलार्थी के अनुसार

दिल्ली के न्यायालयों के पास इस विवाद पर न्यायनिर्णयन करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है क्योंकि माल दिल्ली से वितरित किया गया था और भुगतान भी दिल्ली में किया गया था और किया जाना था, जबकि प्रत्यर्थी के अनुसार दिल्ली के न्यायालयों के पास इस विवाद पर न्यायनिर्णयन करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी एर्नाकुलम केरल का निवासी है और लाभ के लिए काम कर रहा है और उसका अपीलाक्थी के साथ कोई भी व्यापारिक लेन-देन नहीं था, चाहे वह दिल्ली में हो या कहीं और।

6. उपरोक्त परस्पर विरोधी अभिवचनों और मुद्दों की पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक था कि वह कुछ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे यह स्थापित हो सके कि दोनों पक्षकारगण व्यापारिक लेन-देन में संलग्न थे, जिसके अंतर्गत दिल्ली के अपीलार्थी ने केरल के एर्नाकुलम में प्रत्यर्थी को माल की आपूर्ति की और प्रत्यर्थी ने दिल्ली में उसे प्रतिफल का भुगतान किया।

7. इस संबंध में, अपीलार्थी बिलों/चालानों की प्रतियों प्र.अभि.सा.1/3 (संयु) और खाता लेखा प्र.अभि.सा.1/4 की प्रति पर निर्भर करता है। निस्संदेह, न तो कथित बिल/चालान और न ही कथित खाता लेखा पर प्रत्यर्थी का समर्थन है, जिससे यह पता चले कि उसने इसकी सत्यता स्वीकार की है और/या उसने अपीलार्थी से कोई माल प्राप्त किया है। सभी कथित दस्तावेज़ अपीलार्थी के अपने दस्तावेज़ हैं। केवल उन दस्तावेज़ों के आधार पर, संभावनाओं की अधिकता के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी

को किसी माल की कोई आपूर्ति की थी, दिल्ली से एर्नाकुलम, केरल तक तो बिल्कुल भी नहीं।

8. विचारण न्यायालय के डिजिटाइज़्ड अभिलेख के पीडीएफ़ पृष्ठ 149 पर रखे गए प्र.अभि.सा.1/3 (संयु) का भाग बनने वाली कूरियर रसीद की सहायता से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 39 को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब अपीलार्थी ने कूरियर कंपनी को माल सौंप दिया, तो उसका उस पर नियंत्रण समाप्त हो गया और उक्त दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दिल्ली से प्रत्यर्थी तक माल का वितरण दिखाता है। इस संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***जे.सी. एंटरप्राइज़ेज़*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया। लेकिन यह तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। क्योंकि, उक्त कूरियर रसीद में प्रत्यर्थी का पूरा पता कहीं नहीं लिखा है और यह ये भी स्थापित नहीं करता है कि उक्त समनुदेशन के माध्यम से क्या भेजा गया था। अपीलार्थी को कूरियर कंपनी के अभिलेख के माध्यम से भेजे गए माल और समनुदेशिती के पूरे पते के साथ-साथ वितरण के सबूत के बारे में कुछ ठोस साक्ष्य पेश करने चाहिए थे। इसलिए, यह दस्तावेज़ अपीलकर्ता की सहायता करने में विफल रहा।

9. ***हरित पॉलीटेक*** (पूर्वोक्त) और ***श्रद्धा वासन*** (पूर्वोक्त) के मामलों में दिए गए निर्णयों को उद्धृत करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जिस स्थान पर विक्रय मूल्य का भुगतान किया जाना था, वह संबंधित

न्यायालयों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा और चूँकि भुगतान दिल्ली में किया जाना था, इसलिए दिल्ली के न्यायालयों के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यह तर्क विफल हो जाना चाहिए क्योंकि पक्षकारगण के बीच किसी भी व्यापारिक लेन-देन को दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, अपीलार्थी द्वारा माल का वितरण तो दूर की बात है जिसके लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिफल देय था।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी के एकमात्र साक्षी अभि.सा.1 ने अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दिल्ली में प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज़ नहीं था और किसी भी बिल/चालान या खाता लेखा पर प्रत्यर्थी का समर्थन नहीं था। अपने प्रत्युत्तर में, अपीलार्थी ने विशेष रूप से अभिवचन दिया था कि मूल बिल प्रत्यर्थी के कब्ज़े में हैं। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी को पूछताछ के अतिरिक्त मूल अभिलेख की खोज और निरीक्षण के लिए सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 8 के अंतर्गत नोटिस और/या सि.प्र.सं. के आदेश XI के अंतर्गत आवेदन देना चाहिए था। लेकिन अपीलार्थी ने ऐसा न करने का विकल्प चुना।

11. मैं अपीलार्थी पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं ढूँढ पा रहा हूँ कि चूँकि प्रत्यर्थी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है, इसलिए अपीलार्थी के मामले को साबित माना जाना चाहिए। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से उद्धृत ***विद्याधर*** (पूर्वोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले से पूरी तरह अलग है,

क्योंकि वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ वादी ने अपना मामला साबित किया हो और प्रत्यर्थी ने इसकी वैधता को चुनौती दी हो, लेकिन उसने मामले में कदम नहीं रखा।

12. ***रंगाम्मल बनाम कुप्पुस्वामी एवं अन्य*** (2011) 12 एससीसी 220 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत उपबंध का परीक्षण किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> *21. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 में "सबूत का भार" को परिभाषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:*
>
> *"101.सबूत का भार– जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।*
> *जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिये आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।"*
>
> > ***इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि किसी तथ्य को साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो उसका प्राख्यान करता है। जब तक इस भार का निर्वहन नहीं हो जाता, तब तक दूसरे पक्ष को अपना मामला साबित करने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को यह परीक्षण करना होता है कि जिस व्यक्ति पर भार है, क्या वह अपना भार निर्वहन करने में सक्षम है। जब तक वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता, वह दूसरे पक्ष की कमज़ोरी के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता।***
>
> *.....*
>
> *31. इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 का अनुप्रयोग* ***सुभ्रा मुखर्जी*** *केस [(2000) 3 एससीसी 312: एआईआर 2000 एससी*

1203] में चर्चा में आया और फ़र्ज़ी और झूठे लेन-देन के आरोपों से निपटने के संदर्भ में सबूत के भार की विधि पर चर्चा करते समय यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरोप लगाने वाले पक्ष को इसे साबित करना होगा। लेकिन न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि, जिसमें न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि "क्या विचाराधीन लेन-देन सद्भावी और वास्तविक था" इसलिए लेन-देन पर भरोसा करने वाले पक्षकार/वादी को सबसे पहले इसकी वास्तविकता साबित करनी होगी और उसके बाद ही प्रतिवादी को ऐसे सबूत को हटाने और यह स्थापित करने के लिए बोझ का निर्वहन करने की आवश्यकता होगी कि लेनदेन फ़र्ज़ी और काल्पनिक था। ..."

(ज़ोर दिया गया)

13. वर्तमान मामले में, जब अपीलार्थी पक्षकारगण के बीच किसी भी व्यापारिक लेन-देन को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहा, तो प्रत्यर्थी को कोई साक्ष्य पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नकारात्मक अर्थ में तैयार किए गए मुद्दों के शब्दों और विचारण न्यायालय द्वारा नकारात्मक साबित करने के दायित्व के बावजूद, यह अपीलार्थी को साबित करना था कि पक्षकारगण के बीच व्यापारिक लेन-देन थे, जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली में माल की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया था और दिल्ली से प्रत्यर्थी को एर्नाकुलम, केरल में दिल्ली में भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल के बदले माल की आपूर्ति की गई थी। चूँकि अपीलार्थी इन पहलुओं पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा, इसलिए प्रत्यर्थी के लिए इन पहलुओं पर नकारात्मक साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि पक्षकारगण के बीच

कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं था और उसे किसी माल की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं आक्षेपित निर्णय और डिक्री में कोई त्रुटि नहीं पा सका, इसलिए उसे बरकरार रखा जाता है और अपील खारिज की जाती है।

गिरिश कठपालिया
(न्यायाधीश)

03 अक्टूबर, 2024/*एएस*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*